

निविदा सूचना  
Tender Notice

सं. जेड.ओ.एल./प्रशासन/59/खण्ड-V/ 117  
No. ZOL/Administration/59/Vol-V

दिनांक 30.04.2013  
Dated 30.04.2013

निविदा प्रपत्र  
Tender Document

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

ऑचलिक कार्यालय (उत्तर)  
Zonal Office (North)

(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Ministry of Environment & Forest, Govt. of India)

पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर  
PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

लखनऊ  
Lucknow

दूरभाष सं/ Phone No. 0522-4087600, 4087607

फैक्स सं./ Fax No. 0522-4087602

## केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ऑचलिक कार्यालय (उत्तर)

पिकप भवन, गोमती नगर

लखनऊ

सं. जेडओएल/प्रशा/159/खण्ड-V

दिनांक 29.04.2013

### निविदा सूचना

**विषय:-**मैनपावर/हाउस कीपिंग सेवा उपलब्ध कराने हेतु एजेन्सी नियुक्त करने के लिए निविदा आमंत्रण।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठन है। केन्द्रीय बोर्ड के ऑचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ हेतु निम्नलिखित नियम व शर्तों के अनुसार प्रशिक्षित तथा अनुभवी दैनिक वेतन के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर 01 नं., मशीन ऑपरेटर 02 नं० तथा सफाई कर्मी-02 की आवश्यकता है।

#### नियम व शर्तें निम्न हैं -

1. एजेन्सी का दायित्व -एजेन्सी निर्धारित उ०प्र० सरकार द्वारा जारी किये गये न्यूनतम मजदूरी दर के साथ ई.पी.एफ., ई.एस.आई., सेवाकर, सर्विस चार्ज का विवरण डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं मशीन ऑपरेटर (कुशल श्रेणी) -03, सफाई कर्मी (अकुशल श्रेणी) -02 के लिए अलग-अलग स्पष्ट रूप से दें।
2. एजेन्सी मांग के अनुसार प्रशिक्षित तथा अनुभवी दैनिक/मासिक वेतन के आधार पर मैनपावर उपलब्ध करायेगी। मैनपावर की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डाटा एंट्री ऑपरेटर इण्टरमीडिएट तथा कंप्यूटर टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) का कुशल ज्ञान एवं मशीन ऑपरेटर के लिए बी.एस.सी तथा सफाई कर्मी (अकुशल श्रेणी) का होनी चाहिए।

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार मैनपावर को बदला या हटाया जा सकता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एजेंसी को निर्धारित दर पर भुगतान मासिक बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। यदि अनुबंध के नियम व शर्तों के अनुसार बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भुगतान किसी स्थिति में नहीं किया जायेगा। अतिरिक्त स्टॉफ की आवश्यकता होने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित किये जाने के एक सप्ताह के अन्दर एजेंसी को उपलब्ध कराना होगा।
4. मैनपावर के लिए नियम, आने/जाने का समय व कार्य आदि कार्यालय के नियमानुसार मान्य होंगे।
5. एजेंसी को ई.एस.आई.सी. एक्ट के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करानी होगी तथा इसके दस्तावेजों की प्रति जैसे चालान रिटर्न आदि की कॉपी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करानी होगी। बोर्ड इस सम्बंध में किसी प्रकार के दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6. एजेंसी को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी मैनपावर की कर्मचारी भविष्यनिधि एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी तथा मासिक चालान व रिटर्न की प्रति कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। बोर्ड इस सम्बंध में किसी प्रकार के दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
7. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये मैनपावर से सम्बन्धित सभी नियम, सेवा शर्तें, भुगतान, उपस्थिति, अनुशासनात्मक मामलों में पूर्ण रूप से एजेंसी के प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण में रहेंगे। वे एजेंसी के समय-समय पर लागू होने वाले नियम व कानूनों के अनुसार कार्य करेंगे।
8. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी परिस्थिति में मैनपावर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी नहीं माने जायेंगे तथा मैनपावर कर्मियों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये मैनपावर किसी

भी दशा में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रोजगार एवं भुगतान इत्यादि की माँग नहीं करेंगे।

9. भुगतान केवल एजेंसी को क्रॉस एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। एजेंसी द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर सत्यापन उपरान्त अगले माह की 15 तारीख या उससे पहले भुगतान किया जायेगा।
10. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोनों पक्षों के मध्य तय राशि के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता/भुगतान/राशि किसी भी रूप में देय नहीं होगी।
11. एजेंसी को कार्य करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति लिखित रूप से आवश्यक होगी। अनुबन्ध (संविदा) की अवधि एक वर्ष या आवश्यकतानुसार (अवार्ड पत्र जारी होने की तिथि से) होगी। इसे सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार समाप्त होने से पहले आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एजेंसी द्वारा अपेक्षित सेवा न देने अथवा अपेक्षित कागजात उपलब्ध न कराने की स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट की अवधि कम या रद्द भी की जा सकती है।
12. नियुक्ति से पहले सभी मैनपावर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। मैनपावर की उपस्थिति कम होने पर बिल में से भुगतान समतुल्य (Proportionate) काट लिया जायेगा। मैनपावर द्वारा इयूटी में कोताही बरतने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होने वाले नुकसान को दोनों पक्षों की जाँच के पश्चात् एजेंसी के बिल से काटकर पूरा किया जायेगा। नुकसान की राशि किसी महीने के बिल से अधिक होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
13. एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी नियुक्त मैनपावर के चरित्र, चालचलन, पहचान पत्र की प्रमाणिकता तहसीलदार/राजपत्रित अधिकारी/प्रधान/पार्षद आदि से लिये गये प्रमाण-पत्र पेश करे।
14. निविदा दाता को जमानत राशि के रूप में रु. 4,000/- (रूपये चार हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” लखनऊ के पक्ष में देय हो,

जमा करना आवश्यक है। बिना जमानत राशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

15. निविदा में गैर चयनित एजेंसियों को जमानत राशि [एजेंसी चयनित होने या निविदा खुलने की तिथि के तीन माह (जो पहले हो) के अन्दर] बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी तथा चयनित एजेंसी की राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कर ली जायेगी। करार खत्म होने के पश्चात् यह राशि बिना ब्याज के उक्त एजेंसी को वापस कर दी जायेगी।
16. चयन होने की स्थिति में एजेंसी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास ₹ 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) की राशि, मैनपावर द्वारा इयूटी या कोताही बरतने की स्थिति में चोरी या सम्पत्ति का अन्य नुकसान की भरपाई में बतौर जमानत जमा करानी होगी। जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। आयकर नियम के अनुसार आवश्यक टी.डी.एस. भी देय मासिक बिल से काटा जायेगा।
17. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में न्यूनतम मजदूरी बढ़ेत्तरी दर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के उपरान्त ही संशोधित की जा सकती है।
18. संविदा के दौरान करार को कभी भी एक माह के पूर्व नोटिस द्वारा अथवा किसी भी समय (एजेंसी को एक माह के भुगतान द्वारा) रद्द किया जा सकता है।
19. प्रत्येक मैनपावर को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी, अन्य वैधानिक देय जैसे कर्मचारी राज्य बीमा शुल्क, कर्मचारी भविष्य निधि आदि का विस्तृत ब्यौरा समय-समय/मासिक आधार पर कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
20. मात्र न्यूनतम मजदूरी दर पर होना ही चयन की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सरकारी संगठन/पब्लिक सेक्टर यूनिट/स्वायत्तशासी संगठन में मैनपावर सेवा उपलब्ध कराने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वर्तमान में 02 से अधिक सरकारी कार्यालयों के साथ कार्य करने वाले

ऐजेन्सी को वरीयता दी जायेगी। वर्तमान कार्य के साक्ष्य के संबंध में निविदादाता को अपने अनुबंध पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।


21. ऐजेन्सी को निम्न प्रमाण-पत्र/पंजीकरण पत्र प्रस्तुत करने आवश्यक है-

- क) सरकारी संगठन/पब्लिक सेक्टर यूनिट/स्वायत्तशासी संगठन में मैनपावर सेवा उपलब्ध कराने का 02 वर्ष का अनुभव पत्र तथा साथ ही वर्तमान में 02 से अधिक सरकारी करार का प्रमाण-पत्र या छाया प्रति।
- ख) रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में पंजीकरण
- ग) कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट का पंजीकरण पत्र
- घ) कर्मचारी भविष्य निधि पंजीकरण पत्र
- ङ.) सेवाकर पंजीकरण पत्र
- च) जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐजेन्सी के मालिक का चरित्र प्रमाण पत्र
- छ) जिन संस्थाओं के साथ काम किया है/कर रहे हैं, की सूची
- ज) फर्म/ फर्म मालिक का स्थायी खाता सं० (P.A.N.)
- झ) पिछले 01 वर्ष की कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) व राज्य कर्मचारी बीमा योजना (ESIC) की स्टीच्युरि रिटर्न्स
- ञ) रु. 4,000/- (चार हजार मात्र) की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के नाम देय हो।

22. निविदा दो अलग-अलग लिफाफों में एकल स्तर लिफाफा के द्वारा जमा करनी है। लिफाफे के ऊपर मैनपावर सेवा उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी बिड सं. .... दिनांक ..... अंकित करें। दूसरे लिफाफे के अन्दर ऐजेन्सी द्वारा मूल्य की घोषणा की जायेगी और लिफाफे के ऊपर साफ अक्षरों में मैनपावर सेवा उपलब्ध कराने हेतु मूल्य बिड सं. .... दिनांक ..... अंकित करें। दोनों सील लिफाफों को एक लिफाफे के अन्दर रखें जिस पर बड़े साफ अक्षरों में मैनपावर सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा दिनांक ..... अंकित हो। पूर्ण रूप से भरी तथा सील की गयी निविदा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप में प्रभारी, केन्द्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में दिनांक 29.05.2013 सांय 5.00 बजे तक भेजी जानी है।

23. चयनित एजेन्सी को केन्द्रीय बोर्ड के साथ सेवा हेतु विभिन्न शर्तों के साथ अनुबन्ध करना होगा तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
24. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व एजेन्सी के मध्य किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

  
30/5/13  
(अनुभाग अधिकारी)